श्री सुशील कुमार मोदी
माननीय उपमुख्यमंत्री
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

वर्षा ऋतु में पौधारोपण हेतु

किसान बन्धुओं के लिए संदेश

आप सभी किसान बन्धु अवगत हैं कि वर्षा ऋतु पौधों के रोपण का उपयुक्त समय है। पौधारोपण हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

स्थल का चयन :

पौधारोपण के पूर्व स्थल चयन एवं जाँच आवश्यक है क्योंकि उसी के अनुरूप प्रजाति का चयन किया जाता है। कृषि वानिकी एवं फार्म वानिकी के लिए गड्ढों को अलग–अलग दूरी पर खोदना चाहिए।

पौधों की प्राप्ति :

विभागीय पौधशालाओं से दिनांक 01–09 अगस्त 2012 के बीच किसान अधिकतम 5 पौधे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य समय में रू0 2.00 प्रति पौधे की दर पर आवश्यक संख्या में पौधे क्रय कर सकते हैं। इच्छित प्रजाति के पौधे वन विभाग की नर्सरी में उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में निजी नर्सरी से क्रय कर भी पौधे लगाये जा सकते हैं।

स्थल की तैयारी :

जो किसान अपनी पूरी जमीन में पेड़–पौधा लगाना चाहते हैं उन्हें 2 X 2 मीटर अन्तराल पर 1 X 1 X 1 फीट का गड्ढा खोदकर उनमें पौधा लगाना चाहिए। फलदार वृक्षों के लिए यह दूरी 3 X 3 मीटर तथा गड्ढा का माप 2 X 2 X 2 फीट होना चाहिए। खेतों की मेड़ पर या बाग–बगीचे की मेड़ पर 3 मीटर अन्तराल पर अपनी रूचि के पौधों का रोपण करना चाहिए।

वैसे किसान जो कृषि फसल के साथ–साथ पेड़–पौधे लगाना चाहते हैं उन्हें पंक्ति में 6 मीटर दूरी रखते हुए 3 मीटर के अन्तराल पर इच्छित फलदार या काष्ठजनित पौधे लगाने चाहिए।

प्रजाति का चयन

- यदि मिट्टी दोमट प्रकृति की है तो शीशम, सागवान, यूकेलिप्टस, चकुण्डी, बाँस, सिरिस, खैर, आम, कटहल, महुआ, अर्जुन, नीम, जामुन, सेमल, बेल, शरीफा, ऐकासिया, बेर, गम्हार, आदि प्रजातियाँ लगाई जा सकती है।
- यदि मिट्टी कठोर तथा चिकनी प्रकृति की है तो खैर, बबूल, आसन, जामुन, बेल, इमली, नीम, करंज, आंवला, महुआ लगाये जा सकते है।
- जिस स्थल पर पानी लगता हो तो अर्जुन, आसन, जामुन, गम्हार, कदम्ब, सेमल, बबूल, बांस आदि प्रजातियाँ लगाई जा सकती है।
- क्षारवाली जमीन पर आँवला, इमली, बबूल, सिरिस आदि लगाये जा सकते है।
- अम्लीय जमीन पर नीम, महुआ, सिरिस, अर्जुन, पापड़ी आदि वृक्ष लगायें जा सकते है।
- उत्तर बिहार के ऐसे कई क्षेत्रों में पॉपलर प्रजाति सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है लेकिन इसका वृक्षारोपण माह फरवरी–मार्च में बसंत ऋतु में किया जाता है। इसी तरह एक वर्ष के अर्जुन, जामुन, गम्हार, कदम्ब, सेमल, महोगनी, शीशम, सागवान को भी स्टम्प के माध्यम से लगाया जा सकता है।

पौधारोपण :

पौधारोपण का उपयुक्त समय मानसून है। जिन जगहों पर अत्यधिक वर्षा/जलजमाव होता है उन इलाकों में बसंतकालीन पौधारोपण माह फरवरी– मार्च में किया जाना चाहिए। गड्ढ़े में पौधारोपण के समय प्रति गड्ढ़ा डी०ए०पी०/एस०एस०पी० 10 ग्राम, सड़ा गोबर, नीम की खल्ली का उपयोग किया जाना चाहिए। पौधारोपण के उपरान्त वर्षा रूक जाने की स्थिति में लगातार पौधों की सिंचाई की जानी चाहिए। पौधारोपण के 21 दिनों के उपरान्त जब पौधों में नयी पत्तियाँ आने लगे तो पौधों की जड़ के चारों ओर घास को हटाकर हल्की कोड़नी–निकौनी कर एक इंच गहराई में चारों ओर रिंग बनाकर उसमें 10 ग्राम (एक माचिस) यूरिया डालकर रिंग को मिट्टी से ढककर सिंचाई करनी चाहिए। इससे यूरिया घुलकर धीरे–धीरे जड़ को प्राप्त होगा। वर्मी कम्पोष्ट/जैविक खाद उपलब्ध होने पर इसका भी उपयोग किया जा सकता है।

किसी प्रकार की जानकारी के लिए निकटतम वन प्रमंडल पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

पर्यावरण एवं वन विभाग, सिंचाई भवन, पटना – 800015, दूरभाष संख्या :– 0612–2217713